भारत सरकार
Government of India
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
उपभोक्ता मामले विभाग Department of Consumer Affairs
राष्ट्रीय परीक्षण शाला National Test House
महानिदेशक का कार्यालय Office of The Director General
सीपी ब्लाक, सेक्टर-V, साल्टलेक, कोलकाता-700091 CP Block, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091
033-2367 5387/3873/3872 dgnth-wb@nic.in/ dg-nth@nth.gov.in www.nth.gov.in

सं.-जी-318/ए-एचक्यू/लेखा अधिकारी

दिनांक- 23.08.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में लेखा अधिकारी के एक (01) पद को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर भरा जाना ।

केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यालयों के उपयुक्त अधिकारियों की सेवाएँ अनुलग्नक -'अ' में उल्लिखित पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक हैं ।

2. चयनित अधिकारियों का वेतन वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.- I(ii)/ई-III(बी)/75 दिनांक-07/11/1975 तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3. चूँकि नियुक्ति अत्यावश्यक है, अतः अनुरोध किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में उन इच्छुक अधिकारियों के आवेदन, जो पात्र हैं एवं चयन हो जाने की स्थिति में अपने कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त किए जा सकें, 5 वर्षो के सी.आर. डोजियर, सतर्कता अनापत्ति, नो-पैनल्टी प्रमाणपत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ इस प्रकार से अग्रेषित किया जाए कि रोजगार समाचार पत्र एवं समाचार पत्रों में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँच जाए। स्वेच्छा से इस पद पर आवेदन करने वाले अधिकारी को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपूर्ण आवेदन या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन तथा एसीआर/एपीएआर, सतर्कता अनापत्ति, नो-पेनाल्टी प्रमाणपत्र एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक - यथोक्त ।

आतीश कुमार 23/8/23

(आतीश कुमार)
वैज्ञानिक-सी (यांत्रिकी)/प्रशासनिक अधिकारी(प्रभारी)
कृते महानिदेशक, रा.प.शा, कोलकाता
दूरभाष सं.- 033-2367 3872

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
Administrative Officer (I/C)
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय)
National Test House (H.Q.)
ब्लॉक- सी पी, सेक्टर-5
Block- C P, Sector-V
साल्ट लेक, कोलकाता-91
Salt Lake, Kolkata-91

सेवा में -

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेश के सभी कार्यालय

पृष्ठ सं.-2- जारी-

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मु.) National Test House (HQ) कोलकाता-91 Kolkata-91

अनुलग्नक - अ

1. पद का नाम — **लेखा अधिकारी**
2. तैनाती का स्थान — राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय), ब्लॉक-सीपी, सेक्टर-V, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700091
3. पदों की संख्या — 01 (एक)
4. वेतन-मान एवं ग्रेड पे — पे-मैट्रिक्स का लेवेल-7, (रू. 44,900/- - 1,42,400/-)
5. वर्गीकरण — सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग-ख, राजपत्रित, अनुसचिवीय
6. पात्रता

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा वैधानिक संस्थाओं अथवा स्वायत्तशासी निकाय के अधिकारीः-

(i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पदधारी अथवा

(ii) नियुक्ति के पश्चात अपने मूल-कैडर या विभाग में पे-मैट्रिक्स के लेवेल-6, (रू. 35400-112400/-) या समतुल वेतन-मान में नियमित आधार पर पाँच वर्षों की सेवा की हो, और

(ख) अधोलिखित में से कोई एक योग्यता प्राप्त की हो -

आवश्यक योग्यताएँ -

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ ही सरकारी कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी संस्था अथवा वैधानिक संस्था में रोकड़, लेखा तथा बज़ट कार्य में तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त किया हो; अथवा

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ ही रोकड़, लेखा तथा बज़ट कार्य में तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त किया हो तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से रोकड़ एवं लेखा कार्य में प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

वांछनीय -

(क) भारत सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अथवा

(ख) वाणिज्य अथवा प्रबंधन अथवा व्यावसायिक अध्ययन में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण की हो।

नोट-1: : प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित केन्द्र सरकार के इसी संगठन या अन्य किसी संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पूर्ववर्ती संवर्ग-बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

नोट-2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख की यथास्थिति के अनुसार छप्पन वर्ष (56 वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

नोट-3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) के उद्देश्यार्थ, किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 (वह तारीख जबसे सप्तम केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित स्तर को लागू किया गया है) से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे, नियमित आधार पर सेवा की गई हो, उसे ही उन दशाओं को छोड़कर उक्त वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर लागू वेतन मैट्रिक्स के समरूप स्तर में सेवा किया गया माना जाएगा जहाँ एक से अधिक पुनरीक्षणपूर्व वेतनमानों को एक ग्रेड के तहत वेतन मैट्रिक्स के एक समान स्तर में विलय कर दिया गया है, और जहाँ यह लाभ केवल उस/उन पद(दों) को ही मिलेगा जिनके लिए वेतन मैट्रिक्स का वह स्तर बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापक ग्रेड है ।

-जारी-

आ.नि.क्र.
23/8/2023

उपरोक्त अर्हताओं और अनुभव को पूरा करने वाले उन इच्छुक अधिकारियों को जिन्हें उपरोक्त पद पर उनके चयनित होने पर तत्काल छोड़ा जा सके, निर्दिष्ट प्रपत्र में उनके आवेदन-पत्र, उनके प्रमाण-पत्रों की प्रतियों, सी.आर. डोजियर्स (विगत पांच वर्षों की), सतर्कता अनापत्ति, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, अर्थदंड नहीं लगने संबंधी विवरण और संवर्ग अनापत्ति सहित रोजगार समाचार एवं समाचार पत्रों में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर कृपया अग्रेषित किये जाएँ । कृपया आवेदन-पत्र को अधोलिखित पते पर अग्रेषित किया जाए-

महानिदेशक-रा.प.शा
राष्ट्रीय परीक्षण शाला, ब्लॉक-सीपी, सेक्टर-V
सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091

आतीश कु० 23/8/2023

(आतीश कुमार)

वैज्ञानिक-सी (यांत्रिकी)/प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

कृते महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय) National Test House (H.Q.) कोलकाता-91 Kolkata-91

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
Administrative Officer (I/C)
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय)
National Test House (H.Q.)
ब्लॉक- सी पी, सेक्टर-5
Block- C P, Sector-V
साल्ट लेक, कोलकाता-91
Salt Lake, Kolkata-91

अनुलग्नक – I

बायो-डाटा/जीवन वृत का प्रोफार्मा

1. नाम और पता (बड़े अक्षरों में)	
2. जन्मतिथि (ईस्वी सन में)	
3.i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं संतोषजनक हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी अर्हता के समतुल्य समझा गया हो तो, उसके लिए प्राधिकारी का उल्लेख करें।)	

विज्ञापन/ रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित की गई वांछित अर्हताएं/ अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित किए गए अर्हताएं/ अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
क) अर्हता	क) अर्हता
ख) अनुभव	ख) अनुभव
वांछित	वांछित
(क) अर्हता	क) अर्हता
(ख) अनुभव	ख) अनुभव

5.1 नोट: रोजगार समाचार में परिपत्र के जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा भर्ती नियमों में उल्लिखित वांछित और अनिवार्य अर्हताओं को दर्शाने के लिए इस कॉलम को विस्तृत किया जाना अपेक्षित है।

5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में, वैकल्पिक/अनिवार्य विषयों को अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित किया जाए।

6. कृपया आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से यह बताएं	

कि क्या आप पद की अनिवार्य अर्हताओं को पूरा करते हैं।	
6.1 नोट: आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा धारित संगत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव(बायोडाटा में यथा उल्लिखित) विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट टिप्पिणियां/मत की पुष्टि करते हुए प्रदान किया जाना अपेक्षित है।	

7. कालक्रम के अनुसार नियोजन के ब्यौरे। यदि नीचे जगह कम हो तो अपने विधिवत हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित अलग कागज संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*नियमित आधार पर धारित किए गए पद का वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/वेतनमान	आवेदित पद के लिए आवश्यक अनुभव को रेखांकित करते हुए ड्यूटियों की प्रकृति (विस्तृत)

*महत्वपूर्ण: ए.सी.पी. और एम.ए.सी.पी. के तहत अधिकारी को स्वीकृत किए गए पे-बैंड और ग्रेड वेतन वैयक्तिक होते है और इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित किए गए पद के पे-बैंड और ग्रेड वेतन का उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां अभ्यर्थी द्वारा ऐसे वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में एसीपी/एमएसीपी का हितलाभ प्राप्त किया गया हो वहां ऐसे हितलाभ के ब्यौरो का उल्लेख निम्नानुसार किया जाए;

कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी	
9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं:-	

क) प्रारंभिक	ख) प्रतिनियुक्ति	ग) मूल कार्यालय/	घ) वर्तमान संगठन

नियुक्ति की तिथि	संविदा पर नियुक्ति की अवधि	संगठन का नाम जिससे आप संबंधित है।	में कल्पित क्षमता में धारित पद का नाम तथा पद के लिए वेतन
9.1 नोट: अधिकारी के पहले से प्रतिनियुक्ति पर होने के मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदनों को मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग निकासी, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए। 9.2 नोट: उपरोक्त कॉलम 9(ग) और (घ) के तहत मांगी गई सूचनाएं उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जहाँ किसी व्यक्ति ने संवर्ग संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण किया है लेकिन वह अभी अपने मूल संवर्ग/ संगठन में धरणाधिकार बनाए हुए हैं।			

10. यदि आवेदक द्वारा विगत समय में प्रतिनियुक्ति पर कोई पदधारण किया गया हो तो विगत प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तिथि और अन्य ब्यौरे।	
11. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे: कृपया यह बताएं कि क्या निम्नलिखित के अधीन कार्यरत है: (संगत कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं) क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार	

ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड) विश्वविद्यालय च) अन्य	
12. कृपया यह बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और फीडर ग्रेड या फीडर ग्रेड के फीडर में है।	
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में है? यदि हां तो उस तिथि का उल्लेख करें जब, संशोधन किया गया और संशोधन-पूर्व वेतनमान को भी बताएं।	
14. वर्तमान में प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां	

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

15. यदि आवेदक ऐसे संगठन से संबंधित है जो केन्द्र सरकार की वेतनमान का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो निम्नलिखित विवरण दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी आखिरी वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप)।

वेतनमान सहित मूल वेतन और वृद्धि दर सहित	महंगाई/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (अलग-अलग ब्यौरे सहित)	कुल परिलब्धियां

16. (क) अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आपके द्वारा आवेदित पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में संगत हो (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचनाएं दी जाएं): (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण; और (iii) विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त अनुभव। (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)।	
16. (ख) उपलब्धियां: अभ्यर्थी निम्निलिखित से संबंधित सूचना प्रदान करें- (i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना; (ii) पुरस्कर/छात्रवृत्ति/शासकीय प्रशस्ति; (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समितियों से सम्बद्धता; (iv) स्वयं के नाम में पंजीकृत पेटेंट अथवा संगठन के लिए प्राप्त किए गए पेटेन्ट (v) शासकीय पहचान सहित कोई अनुसंधान/नवोन्मेषी उपाय (vi) कोई अन्य सूचना (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)।	
17. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति	

अनुलग्नक – II

आदाता/मूल विभाग/ कार्यालय द्वारा नोट किए जाने वाले बिन्दु जिन्हें मंत्रालय/ विभाग के अनुपालनार्थ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के परिपत्र में स्पष्ट किया जाएगा -

1. आमतौर पर यदि किसी अधिकारी पर छोटी शास्ति लगाई गई है तो दंड लगाए जाने के बाद से तीन वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी। आमतौर पर किसी बड़ी शास्ति के अधिरोपित किए जाने के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के का.ज्ञा सं. 11012/11/2007 स्थापना (ए) के अनुसार, दंड अधिरोपित किए जाने के बाद से 5 वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी।

2. जो अधिकारी शीघ्र ही अपनी कूलिंग ऑफ अवधि पूरा करने वाले हैं; उनके संबंध में आवेदनों को अग्रेषित करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.01.2013 के का.ज्ञा. सं. 2/1/2012 स्था. (पे II) में निहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

3. आदाता विभाग द्वारा विज्ञापन सहित एक प्रति वर्ड डाक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड किए जा सकने वाले आवेदन पत्र में उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए।

4. यदि रोजगार समाचार में नामांकन/प्रकाशन को आमंत्रित करने की सूचना जारी करते समय रिक्ति पहले से मौजूद है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में नामांकन की प्राप्ति के लिए विनिर्धारित अंतिम तिथि से पात्रता निर्धारित की जा सकती है। प्रत्याशित रिक्ति के मामले में पात्रता निर्धारण की निर्णायक तिथि वह तिथि होनी चाहिए जिस तिथि को रिक्ति होने की संभावना है।

5. रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में इसका उल्लेख मुख्य रूप से किया जाएगा कि अभ्यार्थियों के द्वारा दावाकृत अर्हता और अनुभव के समर्थन में समर्थनकारी प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से रहित आवेदन/ सीवी को चयन के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(आईएसटीसी)/ समामेलन(एबजार्वशन)/पुर्ननियोजन आधार पर आवेदन कर रहे हैं। (केवल केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी ही "एबजार्वशन" के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं।)	
# 'एसटीसी' /'एबजार्वशन'/ 'पुर्ननियोजन' का विकल्प उसी स्थिति में उपलब्ध है जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" अथवा 'एब्रजार्वशन' अथवा 'पुर्ननियोजन' द्वारा भर्ती का उललेख किया गया हो।	
18. क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं।	

मैंने रिक्ति पत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूं कि चयन समिति द्वारा पद पर चयन के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित बायोडेटा में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/विवरण सही हैं और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं और किसी महत्वपूर्ण विवरण जो मेरे चयन से संबंधित है, को दबाया या छिपाया नहीं गया है।

(अभ्यार्थी के हस्ताक्षर)

पता_____________

दिनांक___________

6. आवेदकों की पात्रता को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि की गणना रोजगार समाचार में रिक्ति/पद के प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर की जाएगी अर्थात 18 से 24 जनवरी 2014 के रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्ति के लिए निर्णायक तिथि की गणना 19 जनवरी 2014 (प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर) से की जाएगी।

7. केन्द्रीय सरकार के वेतनमान का अनुसरण नहीं करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उनके वेतन/पद के समतुल्य वेतनमान के संबंध में आदाता विभाग द्वारा प्रतिपुष्टि की जा सकती है। जहां भी आवश्यक हो, इस संबंध में ब्यौरों से संबंधित अभिनिश्चय प्रदाता विभाग से किया जा सकता है।

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन

आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं/ब्यौरे अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सत्य और सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता/रखती है। यदि चयन होता है तो उसे तत्काल कार्य-भार मुक्त किया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;

(i) श्री/श्रीमती.......... के विरूद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला न ही लंबित है और न ही विचाराधीन है।
(ii) उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।
(iii) इनके सीआर डोसियर की मूल प्रति संलग्न है। विगत 5 वर्ष के एसीआर की प्रतिलिपियां अवर सचिव, भारत सरकार के रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर की टैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एवं संलग्न हैं।
(iv) पिछले 10 वर्ष के दौरान इन पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है अथवा विगत 10 वर्ष के दौरान इन पर अधिरोपित की गई छोटी/बड़ी शास्तियों की सूची संलग्न हैं (जैसा भी मामला हो)।

(प्रतिहस्ताक्षरित)

(मोहर सहितसाथ नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी)

भारत सरकार
Government of India
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
उपभोक्ता मामले विभाग Department of Consumer Affairs
राष्ट्रीय परीक्षण शाला National Test House
महानिदेशक का कार्यालय Office of The Director General
सीपी ब्लाक, सेक्टर-V, साल्टलेक, कोलकाता-700091 CP Block, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091
033-2367 5387/3870/3872 dgnth-wb@nic.in/ dg-nth@nth.gov.in www.nth.gov.in

No. G-318/A-HQ/Accounts Officer

Date: 23.08.2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Filling up of One (01) post of Accounts Officer in National Test House, Kolkata on Deputation (including short term contract) basis.

Services of suitable officers under the Central Govt. are required for appointment to the post as mentioned in Annexure – A.

2. The pay of the officer, selected will be regulated in accordance with the Ministry of Finance O.M NO. I(ii)/E-III(B)/75 date 07/11/1975 and as amendment issued from time to time.

3. As the requirement is urgent, it is requested that applications in the enclosed proforma (Annexure-I) of the interested officers, who are eligible and who can be spared in the event of selection may be forwarded together with CR Dossiers of last 5 (five) years, Vigilance Clearance, No-penalty Certificate & Integrity Certificate so as to reach the undersigned within 60 days from the date of publication of advertisement in Employment News. The officers who volunteer for the post will not be permitted to withdraw their candidature later. Incomplete application or applications received after closing date and those received without the ACRs/APARs, Vigilance Clearance, No-Penalty Certificate & Integrity Certificate will not be entertained.

Encl: As stated above

23/8/2023

(Atish Kumar)
Scientist-C (Mech.)/AO / (I/C)
For DG, NTH, Kolkata
Tel No: 033-2367 3872

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
Administrative Officer (I/C)
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय)
National Test House (H.Q.)
ब्लॉक- सी पी, सेक्टर-5
Block- C P, Sector-5
साल्ट लेक, कोलकाता-91
Salt Lake, Kolkata-91

To
All Central Government, State Government and Union Territories offices.

cont...2

ANNEXURE - A

01. Designation of the post	**Accounts Officer**
02. Place of Posting	National Test House (HQ) Block – CP, Sector – V, Salt Lake, Kolkata – 700091
03. No. of Post	01 (One)
04. Pay Band & Grade Pay	Level-7 of pay matrix, Rs. 44,900 – 1,42,400/-
05. Classification	General Central Service, Group-B, Gazetted, Ministerial
06. Eligibility	

Deputation (including short term contract)

(A) Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or statutory and Autonomous Bodies: -

i) Holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or
ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 in the Pay matrix, Rs.35400-112400/- or equivalent in the parent cadre or department and

(B) Possessing any one of the following qualifications: -

Essential:

(i) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or Statutory Organisation; or

(ii) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work with completed training in Cash and Accounts Work from Institute of Secretariat Training And Management or any other training Institute recognised by Government of India.

Desirable: -

(a) Pass in the Subordinate Accounts Service examination conducted by any one of the Organised Accounts Departments of Government of India; or
(b) Bachelor's degree in Commerce or Management or Business Studies.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level and the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level and the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level and the pay matrix is the normal replacement grade without any up gradation.

contd…2

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
Administrative Officer (I/C)
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय)
National Test House (H.Q.)
ब्लॉक- सी पी, सेक्टर-5
Block- C.P, Sector-V
साल्ट लेक, कोलकाता-91
Salt Lake, Kolkata-91

Applications in the given proforma along with copy of certificates, CR Dossier (last five years), Vigilance Clearance, Integrity Certificate, No-Penalty Statement and Cadre Clearance from officers who are willing and fulfilling the above qualification and experience and whose service can be spared immediately on his/her selection to the above-mentioned posts, kindly be forwarded within 60 days from the date of advertisement in Employment News and News papers. Application may please be forwarded to the following address:

Director General-NTH
National Test House, Block – CP Sector – V
Salt Lake, Kolkata – 700091

(Atish Kumar)
Scientist-C (Mech.)/A. O. (I/C)
For Director General, National Test House

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
Administrative Officer (I/C)
राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय)
National Test House (H.Q.)
ब्लॉक- सी पी, सेक्टर-5
Block- C P, Sector-V
साल्ट लेक, कोलकाता-91
Salt Lake, Kolkata-91

ANNEXURE-I

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4.Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any **qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)**	

Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	**Qualifications/ experience possessed by the officer**
Essential	**Essential**
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
Desirable	**Desirable**
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience

5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs **by the Administrative Ministry/Department/Office** at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.
5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated **by the candidate.**

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	

6.1 **Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.**

7. Details of Employment, in chronological order. **Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.**

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for

***Important**: Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned . Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay , Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP / MACP Scheme	From	To

8.Nature of present employment i.e. Ad-hoc **or** Temporary **or** Quasi-Permanent **or** Permanent	
9.In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-	

a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation

9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate. **9.2 Note**: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation	

10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.	
11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column) a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others	
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.	
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale	

14.Total emoluments per month now drawn

Basis Pay in the PB	Grade Pay	Total Emoluments

15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government ²ay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be ënclosed.

³asic Pay with Scale of ²ay and rate of ıcrement	Dearness Pay/interim relief /other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments

6.A Additional information, if any, relevant to the ɔst you applied for in support of your suitability for ıe post. 'his among other things may provide information with gard to (i) additional academic qualifications (ii)	

professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) **(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)**	
16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/institutions/societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization (v) Any research/ innovative measure involving official recognition vi) any other information. **(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)**	
17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment Basis.# (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organizations are eligible only for Short Term Contract)	
# (The option of 'STC' / 'Absorption'/'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment").	
18. Whether belongs to SC/ST	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the candidate)

Address____________________

____

Date________________

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt.______

ii) His/ Her integrity is certified.

iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed..

iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years Or A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

____

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

Annexure-II

Points to be noted by the Borrowing/ Parent Department/ Office to be highlighted in DOP&T circular for compliance by the Ministries/ Departments]

1. Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 3 years after the currency of punishment, if a minor penalty has been imposed on an officer. In case of imposition of a major penalty, Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 5 years after the currency of punishment in terms of DOP&T O.M. No.11012/11/2007-Estt.(A) dated 14.12.2007.

2. While forwarding applications in respect of officers who are about to complete their 'cooling-off' period shortly the instructions of DOP&T as contained in O.M. No.2/1/2012-Estt.(Pay.II) dated 04.01.2013 may be strictly adhered to.

3. A copy of the Application format may be provided by the Borrowing Department in their website in a downloadable form as *Word Document* along with the advertisement.

4. In the case of a vacancy already existing at the time of issue of communication inviting nominations/ publication in the Employment News, the eligibility may be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations in the concerned administrative Ministry/Department. In the case of an anticipated vacancy, the crucial date for determining eligibility should be the date on which the vacancy is expected to arise.

5. It shall be prominently mentioned in the vacancy circular/ advertisement that the applications/CV not accompanied by supporting certificates/ documents in support of Qualification and Experience claimed by the candidates would not be processed for determining the eligibility of the candidates for the selection.

6. Crucial date for determining the eligibility of the applicants will be counted after excluding the first date of publication of the vacancy/ post in the Employment News. ie., For the vacancy published in the Employment News of 18-24 Jan. 2014, the crucial date will be counted from the 19th Jan. 2014 (excluding the first date of publication).

7. To facilitate determination of eligibility of the applicants working in Public Sector Undertakings/ Autonomous organizations not following the Central Government Scales, their equivalent scales of pay/posts may be confirmed by the borrowing Department. Where necessary, details in this regard may also be ascertained from the lending Department.